

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

संख्या: 49/17

निर्णय दिनांक 18.8.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजम द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 7.8.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल नरट सिंह पुत्र दासीपूर कौम विजय निवासी विहौर तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 5.15/203 किस्म राजगढ़ रकबा 0.02 बांके ग्राम विहौर पर नरकान की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित/ अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.40 की 50 गुनी से शास्ति राशि 30 रुपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक/ पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राजम 20
पुस्तक नं० 82
पटवारी हल्का का नाम नं० 02
TRA 6/2/10
राजस्थान
राजाखेडा

दम
तहसीलदार
राजाखेडा